(7)

875/11

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

62AC 787653

प्रमाणित किया जाता है रूपये 10/— मात्र का स्टाम्प नकल संख्या 875/2015 के साथ संलग्न किया गया है, जो दिनांक 21/3/2013 से बही नम्बर 1 की जिल्द नम्बर 6485 के सुफे 123/140 के दस्तावेज नम्बर 3045 की सत्य एवं प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसे आज दिनांक 22/6/2015 को सब रजिस्ट्रार द्वितीय कार्यालय मेरठ से नकल के रूप में जारी की गयी है।

467

17 JUN 2015

3045/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 MAR 2013

AG 245243

विक्रय पत्र, सब रजिस्ट्रार, द्वितीय, मेरठ।
लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (आवासीय प्लाट)
2. वार्ड परगना
3. मौहल्ला ग्राम बाजौट तहसील व जिला मेरठ।
4. सम्पत्ति का विवरण आवासीय प्लाट बिना नम्बरी मध्ये खसरा नम्बर 387/2 रकबई 170.56 वर्ग मीटर।
5. मापन की इकाई (वर्ग मीटर)
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल J.56 वर्ग मीटर
7. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नही
8. प्रतिफल की धनराशि अंकन 4,70,000/–रूपये।

1– विक्रीत प्लाट अन्दर सीमा अर्द्धनगरीय क्षेत्र मेरठ है।
2– स्टाम्प शुल्क अंकन 33,000/–रूपये।
3– विक्रय मूल्य व सर्किल रेट के अनुसार बाजारी मूल्य अंकन 4,70,000/– चार लाख सत्तर हजार रूपये।
4– विक्रीत प्लाट आवासीय है। जिसका सर्किल रेट अंकन 2,500/– रूपये प्रति वर्ग मीटर नियत है लेकिन 80 फिट चौडे मार्ग पर स्थित है इसलिये नियमानुसार नियत सर्किल र 10 प्रतिशत बढाकर स्टाम्प

रिहाना

रिहाना

क्रमांक ....
स्टाम्प का मूल्य : ....
[illegible]
MT 470-03
18/3/13
ह० स्टाम्प ....

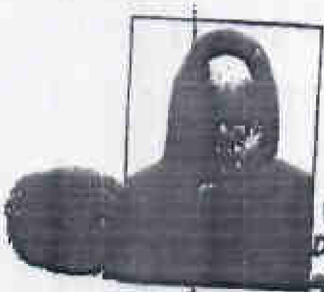

KUMAR SHARMA
Document Writer
Registry Compound
Kutchery, Meerut

KUMAR SHARMA
Document Writer
Registry Compound
Kutchery, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 MAR 2013

AG 245075

शुल्क अदा किया है। विकीत प्लाट मौके पर समस्त खाली है।

5– विकय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यता पूर्वक पालन किया है।

6– विकीत प्लाट की 50 मीटर की परिधि में कोई व्यवसायिक गतिविधि नही है।

विकय पत्र ओर से श्रीमती रिहाना बेगम पत्नी मोहम्मद गुलजार निवासी रशीद नगर मेरठ शहर ———————— प्रथम पक्ष (विकेती)

व मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर (ए कम्पनी इनकोरपोरेटिड अण्डर दी इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956) द्वारा मैनेजिंग डायरैक्टर श्री जावेद राव पुत्र स्व0 श्री जमशेद राव निवासी 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर———————————————द्वितीय पक्ष (केता)

यह कि आवासीय प्लाट बिना नम्बरी रकबई 204 दो सौ चार वर्ग गज अर्थात् 170.56 एक सौ सत्तर पाईन्ट पाँच छ: वर्ग मीटर, मध्ये खसरा नम्बर 387/2 स्थित ग्राम बाजौट परगना व तहसील व जिला मेरठ

रिहाना

रिहाना

935 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16/2/13 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

15 MAR 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 245076

को प्रथम पक्ष ने विक्रय पत्र दिनांक 24.03.2008 ई0 द्वारा श्री मौहम्मद सोनू सैफी पुत्र श्री मुस्तकीम निवासी 1309, जाकिर हुसैन कालौनी मेरठ शहर से क्रय किया था, कि ी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 3889 के सफे 345/360 में नम्बर .9 पर दफतर रजिस्ट्री मेरठ हुई, द्वारा क्रयकर वास्तविक स्वामीनी व पूर्णतः विक्रयाधिकारिणी है। उपरोक्त प्लाट आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उऋण तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषो आदि से मुक्त एवं रहित है तथा प्रथम पक्ष ने उपरोक्त प्लाट की जमानत पर किसी वित्तीय संस्था एवं बैक आदि से कोई ऋण अथवा कर्जा प्राप्त नही किया है तथा न ही उपरोक्त प्लाट को अपने हस्ताक्षरो से कहीं पर बन्धक अथवा भार ग्रस्त किया हुआ है। अर्थात् उपरोक्त प्लाट आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि पाक व साफ है। प्रथम पक्ष को उक्त प्लाट को य तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व तथा अधिका है। तथा कोई वैधानिक दोष प्रथम पक्ष के विक्रयाधिकारो में बाधक नही है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है जो इस समय का अधिक से अधिक बाजारी मूल्य है विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष का पूरा – पूरा लाभ है। अतः प्रथम पक्ष ने अपने उक्त प्लाट को अपने समस्त अधिकार स्वामित्व तथा

रिहाना

रिहाना

सत्यप्रतिलिपि

936

235

18/3/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 MAR 2013

AG 245077

आधिपत्य आदि सहित बिना छोडे हुये किसी स्वत्व एवं अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विकय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रियो की दशा में अंकन 4,70,000/- चार लाख सत्तर हजार रुपये विकय मूल्य के उपलक्ष में हस्ते मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर (ए कम्पनी इनकोरपोरेटिड अण्डर दी इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956) मैनेजिंग डायरैक्टर श्री जावेद राव पुत्र स्व0 श्री जमशेद राव नि0 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर, जिसे ऊपर द्वितीय पक्ष केता भी कहा गया है, को विकय कर दिया और बेच डाला ओर समस्त विकय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्नलिखित विवरणानुसार प्राप्त करके विकीत प्लाट को अपने अधिकार स्वामित्व तथा वास्तविक आधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर खाली द्वितीय पक्ष केता के अधिकार स्वामित्व तथा वास्तविक आधिपत्य आदि मे देकर उनको अपनी भॉति वास्तविक स्वामी व पूर्णतया अधिकारी बना दिया है। अब विकेता का कोई सम्बन्ध विकीत प्लाट से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नही रहा है और न रहेगा। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त प्लाट में अपना भवन निमार्ण कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर

रिहाना

रिहाना

237

238

16/3/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 245164

नियमानुसार निर्मित कराये। यदि विक्रीत प्लॉट पर आज से पूर्व का कोई ड्यूज शेष पाया जायेगा तो उसे प्रथम पक्ष अदा करने के पाबन्द रहेगे तथा आज के बाद स्वयं द्वितीय पक्ष वहन करेगे। यदि किसी वादी के वादवश अथवा किसी वैधानिक दोषवश उक्त प्लाट सम्पूर्ण अथवा उसका अंश द्वितीय पक्ष केता के अधिकार स्वामित्व एवं आधिपत्य आदि से निकल जायेगा अथवा उक्त प्लाट पर कोई ऋण भार पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पाया जायेगा जो [illegible] पक्ष केता को अपने अधिकारो की सुरक्षा के लिये अदा या [illegible] करना पड जाये तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष केता को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विकय मूल्य अथवा उसका अंश व वाद व्यय आदि सहित मय लागत माबाद बैनामा जिस प्रकार उचित जाने वापस प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त करले। जिसमें किसी भी पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी " यह कि इस विकय पत्र में जहाँ कही भी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष कहा गया है, उसमें उनके अपने – अपने वैधानिक उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित माने जायेगे। अतः यह विकय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व [illegible] इन्द्रियो की अवस्था में लिख दिया कि प्रमाण रहे। इतिः

रिहाना

रिहाना

186

৭৬/১০ [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 MAR 2013

AG 245165

माप व सीमायें विक्रीत प्लाट।

पूरब:— 68 फिट तत्पश्चात् प्लाट साकिब मलिक।

पश्चिम:— 68 फिट तत्पश्चात् प्लाट अन्य।

उत्तर:— 27 फिट तत्पश्चात् रास्ता 80 फिट चौडा।

दक्षिण:— 27 फिट तत्पश्चात् खेत इरफान।

विवरण प्राप्ति धनराशि ।

1. अंकन 4,00,000/— चार लाख रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से चैक नम्बर 19836 दिनांक 12.03.2013 ई0 बैक आफ इण्डिया मेरठ शहर द्वारा प्राप्त कर लिये है।

2. अंकन 70,000/— सत्तर ह[illegible] रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद इस पत्र पर हस्ताक्षर कर[illegible]य प्राप्त कर लिये हैं।

कुल योग अंकन 4,70,000/— चार लाख सत्तर हजार रूपये।

नक्शा नजरी

बैनामा मालियत/बाजारी मूल्य 4,70,000/— रूपये।

विक्रेता का नाम व पता श्रीमती रिहाना बेगम निवासी रसीद नगर मेरठ शहर।

रिहाना

रिहाना

सुरेन्द्र कुमार
-15/93-94

विक्रय पत्र

470,000.00/	470,000.00	9,400	20		1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क		योग शब्द लगभग

श्रीमती रिहाना बेगम hdm 1535657
पत्नी श्री मौ0 गुलजार
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी रशीद नगर मेरठ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/3/2013 समय 3:43PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रिहाना विरेन्द्र कुमार
निबन्धक लिपिक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक द्वितीय
मेरठ
21/3/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती रिहाना बेगम hdm 1535657
पत्नी श्री मौ0 गुलजार
पेशा गृहिणी
निवासी रशीद नगर मेरठ

रिहाना

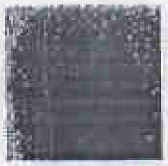

क्रेता

श्री मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा जावेद राव
पुत्र श्री जमशेद राव पैन कार्ड न0 9665d
पेशा अन्य
निवासी शास्त्री नगर मेरठ

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री अनिल कुमार द0 लेखक मेरठ
पेशा दस्तावेज लेखक
निवासी

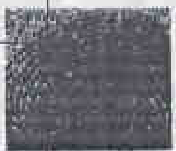

व श्री अमित कुमार
पुत्र श्री विनोद कुमार
पेशा अन्य
निवासी शताब्दी नगर मेरठ
ने की।

अमित कुमार

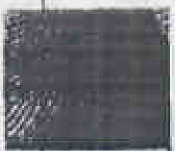

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विरेन्द्र कुमार
निबन्धक लिपिक

उपनिबन्धक द्वितीय
मेरठ
21/3/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 460101

13 MAR 2013

7

क्रेता का नाम व पता मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर द्वारा मैनेजिंग डायरैक्टर श्री जावेद राव ।

सम्पत्ति स्थित ग्राम ... ..जला मेरठ

सम्पत्ति का विवरण आवासीय प्लाट बिना नम्बरी मध्ये खसरा नम्बर 387/2 रकबई 170.56 वर्ग मीटर ।

उत्तर

पश्चिम —— पूरब

द

विक्रीत भूमि की 50 मीटर की त्रि... स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सडक 80 फिट रोड पर
2. आवासीय/वाणिज्यिक/भूमि/भवन/औद्योगिक आवासीय

रिहाना

रिहाना

विक्रेता

Registration No.: 3045 Year: 2,013 Book No.: 1

0101 रिहाना बेगम hdn 1535657

मो0 गुलजार

रशीद नगर मेरठ

गृहिणी

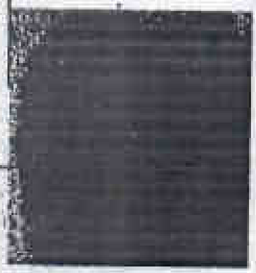

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 460102

3. शैक्षिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र नही
4. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज नही
5. गैस गौदाम/पैट्रोल पम्प/बस अड्डा नही
6. होटल/रैस्टोरैन्ट/मनोरंजन केन्द्र नही
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निर्गम्ति कार्यालय नही
8. अन्य नही

घोषणा– किसी तथ्य को छिपाया ... गया है तथा गलत वर्णन अंकित नही

क्रेता

Registration No. : 3045 Year : Book No. : 1

0201 मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा जावेद राव
जमशेद राव पैन कार्ड न0 9665d
शास्त्री नगर मेरठ
अन्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

UTTAR PRADESH

Z 460103

13 MAR 2013

किया गया है। उपरोक्त सूचना ... की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

रिहाना

ANIL KUMAR SHARMA
Document Writer
Registry Compound
Kutchery, Meerut

दिनांक :— 18.03.2013 ई0 मसविदा व फोटो का सत्यापन अनिल कुमार शर्मा दस्तावेज लेखक मेरठ ।

ANIL KUMAR SHARMA
Document Writer
Registry Compound
Kutchery, Meerut

रिहाना

प्रमाणित किया जाता ...

... वह मुद्रांक स्टाम्प ...

रिहाना

110

786

सुरेश कुमार
T-43/93-94

16/3/14

आज दिनांक 21/03/2013 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 648

पृष्ठ सं. 123 से 140 ... क्रमांक 3045

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक द्वितीय
मेरठ
/3/2013

सत्यप्रतिलिपि

उप निबन्धक द्वितीय
मेरठ